बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक– वि॰ प्रा॰(II) ब3– 21/ 2009– / पटना, दिनांक

सेवा में,
महालेखाकार (ले॰ एवं ह॰), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001

द्वारा:– वित्त विभाग*

अनौपचारिक रुप से परामर्शित

विषयः– विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के प्राचार्यों को रू॰ 1,00,000=00 (एक लाख रूपये) मात्र के इकाई मूल्य तक के मशीन तथा उपकरण के क्रय की शक्ति प्रत्यायोजित करने के संबंध में।

महाशय,

विभागीय राज्यादेश संख्या–7473, दिनांक 05.12.1963 के द्वारा विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के प्राचार्यों को रू॰ 10,000=00 (दस हजार रूपये) मात्र के इकाई मूल्य तक के मशीन तथा उपकरण के क्रय की शक्ति प्रत्यायोजित की गई थी।

2. उक्त के क्रम में राज्य सरकार ने विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के प्राचार्यों को रू॰ 1,00,000=00 (एक लाख रूपये) मात्र के इकाई मूल्य तक के मशीन तथा उपकरण के क्रय की शक्ति प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

24.2.10

3. बिहार वित्त संशोधन (नियमावली) 2005 एवं क्रय से संबंधित अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए क्रय की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

4. उक्त राज्यादेश संख्या–7473, दिनांक 05.12.1963 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –
(अख्तर इमाम)
सरकार के उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या– वि॰ प्रा॰(II) ब3– 21/ 2009– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, सभी अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक तथा सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰ प्रा॰(II) ब3– 21/ 2009– 472 पटना, दिनांक– 19.2.2010

प्रतिलिपिः– सभी पदाधिकारी एवं कार्यालय सहायक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव